रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 1981/कार्तिक 25, 1903

No. 43] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 1981/KARTIKA 25, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1981

आ० अ० 80 (अ).—राज्य सभा के लिए महाराष्ट्र से निर्वाचित सदस्य श्री एस० के० वैशम्पायन की उनकी पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सभा में एक रिक्ति हो गई है—

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार तारीख 7 दिसम्बर, 1981 से पूर्व एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा० स०-महा०/1/81(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th November, 1981

O.N. 80(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the death of Shri S. K. Vaishampayan, a member elected to the Council of States from Maharashtra, before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the States of Maharashtra to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 7th December, 1981.

[No. 100/CS-MT/1/81 (1)]

आ० अ० 81(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 16 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना सं० 100/रा० स०/महा०/1/81(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

(क)	नामनिर्देशन करने के अन्तिम तारीख	23 नवम्बर 1981 (सोमवार) लिए
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	24 नवम्बर, 1981 (मंगलवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	26 नवम्बर, 1981 (बृहस्पतिवार)
(घ)	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, तथा	3 दिसम्बर, 1981 (बृहस्पतिवार)
(ङ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा।	7 दिसम्बर, 1981 (सोमवार)

नियत करता है।

[सं० 100/रा० स०-महा०/1/81(2)]

950 GI/81

O.N. 81(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100|CS-MT|1|81(1), dated 16th November, 1981.—

(a) 23 November, 1981 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) 24 November, 1981 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 26 November, 1981 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 3 December, 1981 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 7 December, 1981 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100|CS-MT|1|81 (2)]

आ० अ० 82(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 16 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना सं० 100/रा० स०-महा०/1/81(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं० 100/रा० स०-महा०/1/71(3)]

O.N. 82(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 1.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100|CS-MT|1|81 (1), dated 16th November. 1981.

[No. 100|CS-MT|1|81 (3)]

आ० अ० 83(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०-महा० 1/81(1), तारीख 16 नवम्बर, 1981 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए श्री एम० जी० राणे, उपसचिव, महाराष्ट्र विधान मण्डल सचिवालय, को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

O.N. 83(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Maharashtra hereby designates Shri M. G. Rane, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100|CS-MT|1|81 (1), dated 16 November, 1981.

[No. 100|CS-MT|1|81 (4)]

आ० अ० 84(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 16 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना सं० 100 रा०स०-महा०/1/81(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए श्री वी० के० देशपाण्डे, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मण्डल सचिवालय को नियुक्त करता है।

[सं० 100/रा०स०-महा०/1/81(5)]

आदेश से,

के० गणेशन, सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

O.N. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri V. K. Deshpande, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100|CS-MT|1|81 (1) dated the 16th November, 1981, in the performance of his functions.

[No. 100|CS-MT|1|81 (5)]

By order,

K. GANESAN, Secy. to the Election Commission of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981